फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री शंकरलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

रस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 22/23

दिनांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक 21.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि विपक्षी संख्या 4 के सम्मन उनके भाई द्वारा प्राप्त किये गये है। अतः विपक्षी संख्या 4 के सम्मन बाद तामिल माने जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि विपक्षी संख्या 4 के सम्मन उनके भाई द्वारा प्राप्त किये गये है। प्रकरण तरमीम शुद्धि से संबंधित है। अतः विपक्षी संख्या 4 के सम्मन बाद तामिल माने जाते हैं। विपक्षी संख्या 2, 4 अनुपस्थित है। विपक्षी संख्या 2, 4 के जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। शेष विपक्षी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार मौजा बोरिया पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 53 की आराजी न. 2 किता 1 रकबा 1.0800 है. भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 के नाम पर 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 के नाम पर 1/4 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 के नाम पर 1/4 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के साबिक आराजी न. 1/2 क्षे. 5 बिघा थे जो गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी। उक्त साबिक आराजी न. 1/2 के खातेदारी के रूप में नये आराजी नं. 308/1 बने जिसमें इस कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 से 4 है। यह कि हाल ही में हुए नवीन बंदोबस्त के दोरान आराजी न. 2 रकबा 1.0800 है. भूमि की तरमीम साबिक आराजी नं. 1/2 के अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई। यह कि साबिक आराजी नं. 1/2 के गैर खातेदारी से खातेदारी [illegible] प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की तरमीम मौके अनुसार ही थी जबकि नवीन बं[illegible] प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की तरमीम साबिक आराजी न. 1/2 [illegible] नहीं [illegible] अन्यत्र कर दी गई जिससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रा[illegible]स्त भूमि की तरमीम साबिक आराजी न. 1/2 के अनुसार [illegible] किये जाने का निवेद[illegible]।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम बोरिया की बिलानाम खसरा सं. 1 रकबा 326 बीघा 10 बिस्वा में से 290

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahedya
Date: 2025.11.17 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

बीघा भूमि महफूज चरनोट नामान्तरण सं 7 दिनाक 25.03.1970 से ...
बीघा 10 बीस्वा भूमि शेष रही। यह कि बिलानाम भूमि खसरा सं 1/2 ...
बीघा मे से 5–00 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता लालू पिता वागा लोहार ...
के नाम नामान्तरण सं. 21 दिनाक 08.03.1977 से दर्ज की गई जिसका ...
(क) दर्ज किया गया जिसमें आवंटित भूमि की तरमीम दर्ज है। यह कि ...
2045–48 के खाता सं 52 खसरा सं. 1/2 रकबा 5–00 बीघा भूमि प्रार्थी ...
पिता वागा लोहार के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी जिसकी तरमीम लढ़्ठा ...
गई है। यह कि नवीन सेटलमेंट संवत् 2069–72 के खाता सं 56 में ...
308/1 रकबा 5–00 बीघा दर्ज किया गया था जिसमें नामान्तरण संख्या ...
13.10.2017 से खातेदारी दी गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि नवीन ...
मिलान क्षे. अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खसरा सं. 1/2 का नया नं 2 रकबा ...
(5–00 बीघा) बना है जो कि वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी संवत् 2078–81 में ...
नाम दर्ज रेकर्ड है परन्तु नवीन सेटलमेंट के नक्शे में प्रार्थी का खसरा सं 2 लढ़्ठा ...
की तरमीम एवं प्रार्थी के कब्जे अनुसार नहीं कर अन्यत्र दर्ज किया गया है जो आ...
भूमि से भिन्न स्थान पर है। लढ़्ठा शीट में की गई तरमीम का वर्तमान नक्शे से मि...
करने पर पाया गया कि उक्त भूमि वर्तमान नक्शे के खसरा 76 रकबा 48.4100 है कि...
पड़त द्वितीय में स्थित है जिसे नक्शा सं. 3 में लाल स्याही से दर्शाया गया है। खसरा ...
76 रकबा 48.4100 है. वर्तमान में विकास पंचायत सिंहाड महफूज चरागाह के नाम द...
रेकर्ड है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि वर्तमान में उक्त भूमि पड़त है तथा दक्षि...
दिशा की तरफ पत्थर की कोट बनी हुई है। उक्त भूमि पर पूर्व में खातेदारों द्वारा भूमि
समतल करवाकर कृषि कार्य किया जाता था।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बिलानाम भूमि खसरा सं. 1/2 रकबा 16–00 बीघा में से 5–00 बीघा भूमि प्रार्थी के पिता लालू पिता वागा लोहार सा. आम्बा का गुढा के नाम नामान्तरण सं. 21 दिनांक 08.03.1977 से दर्ज की गई जिसका खसरा सं. 1/2 (क) दर्ज किया गया जिसमें आंवटित भूमि की तरमीम दर्ज है जो पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण संख्या 21 से स्पष्ट है तथा खसरा संख्या 1/2 रकबा 5 बिघा भूमि खातेदार लालु पिता वागा लोहार के नाम गैर खातेदारी से दर्ज थी जो जमाबंदी संवत् 2045–48 से स्पष्ट है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि नवीन सेटलमेंट में प्रार्थी की खातेदारी खसरा संख्या 1/2 का नया नं. 2 रकबा 1.0800 है. बना है जो वर्तमान ऑनलाइन जमाबंदी संवत् 2078–81 में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकर्ड है जो पत्रावली पर उप[illegible] खसरा व जमाबंदी से भी स्पष्ट है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा [illegible] है कि नवीन सेटलमेंट के नक्शे मे प्रार्थी का खसरा सं. 2 लढ़्ठा [illegible] प्रार्थी के कब्जे अनुसार नहीं कर अन्यत्र दर्ज किया गया है जो आवंटित भूमि से [illegible] स्थान पर है। लढ़्ठा शीट में की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested

गई तरमीम का वर्तमान नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि उक्त भूमि वर्तमान नक्शे के खसरा 76 रकबा 48.4100 है. किस्म पडत द्वितीय मे स्थित है जिसे नक्शा सं 3 में लाल स्याही से दर्शाया गया है। खसरा सं. 76 रकबा 48.4100 है. वर्तमान मे विकास पंचायत सिंहाड महफूज चरागाह के नाम दर्ज रेकर्ड है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनागृस्त आराजी की तरमीम सादिक आराजी न. अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोरिया पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 60 की आराजी न 76 रकबा 48.4100 है. भूमि में से 1.0800 है. भूमि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र लालु जाति लोहार, विपक्षी संख्या 2 गेहरीलाल पुत्र लालु जाति लोहार व विपक्षी संख्या 4 सावती पुत्री लालु जाति लोहार के नाम हिस्से बराबर से दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस 3 के अनुसार तरमीम किये जाने व खाता संख्या नया 53 की आराजी न. 2 रकबा 1.0800 है. भूमि वर्तमान खातेदार के बजाय विकास पंचायत सिंहाड महफुज चारागाह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:50:24 IST
Reason: SelfAttested